150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

स्पीड–पोस्ट

**राजस्थान सरकार**
**आयोजना (ग्रुप–1) विभाग**

क्रमांकः प. 1(19) सांख्यिकी/91 जयपुर, दिनांकः– 14 OCT 2020

**–: आज्ञा :–**

राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के श्री बाबूलाल कटारा, निदेशक (सांख्यिकी), माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर ने दिनांक 14.10.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है। श्री कटारा की जन्मतिथि दिनांक 12.11.1964 है एवं इनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि दिनांक 21.04.1991 है। इन्होंने राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन नियम, 1996 के अन्तर्गत 29 वर्ष से अधिक की राजकीय सेवा पूर्ण कर ली है।

अतः राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(3) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री बाबूलाल कटारा, निदेशक (सांख्यिकी), माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर को राज्य सरकार द्वारा दिया गया किसी प्रकार का ऋण शेष नहीं होने की शर्त पर दिनांक 14.10.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्मिक (क–3) विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बाबूलाल कटारा के विरुद्ध वर्तमान में किसी भी प्रकार की DE/PE/FIR/COMP. विचाराधीन नहीं है।

आज्ञा से

**संयुक्त शासन सचिव**
**आयोजना विभाग**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा/सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
6. निदेशक, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
7. श्री बाबूलाल कटारा, निदेशक (सांख्यिकी), माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

**सहायक शासन सचिव**
**आयोजना विभाग**